HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 127/2026
In
S. B. Criminal Appeal No. 1501/2025

Jitendra @ Kalu S/o Late Shri Joshi, Aged About 27 Years, R/o Narvar Road, Village Bhawani Kheda, Police Station Gegal, District Ajmer. (Accused Is Confined In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Gangwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

05/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जिला–अजमेर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **05/2024** में पारित निर्णय **19.05.2025** के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त को धारा **363, 366A, 342, 376(1), 376(D) भा.दं.सं. तथाा धारा 5(G)/6, 13/14 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के अपराध में अधिकतम **20** वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया हो, यह प्रमाणित नहीं है, अभियुक्त पर पीड़िता

व सह–अभियुक्त का जो वीडियो बनाने का आरोप है, वह भी प्रमाणित नहीं है, कथित घटना का वीडियो बरामद नहीं हुआ है, वह किसी अन्य दिवस व घटना का है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त करीब तीन वर्ष से कारावास की सजा भुगत रहा है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धी हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि 17 वर्षीय पीड़िता अपने घर के बाहर कचरा डालने गई तो मुख्य अभियुक्त शेरसिंह जो अपनी दुकान पर प्रार्थी–अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ कालू व मनमोहन सिंह के साथ बैठा था, पीड़िता को अपने कमरे में खींचकर ले गया तथा दुष्कर्म किया और उसमें सह–अभियुक्तगण द्वारा सहयोग किया गया। वर्तमान प्रार्थी–अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ कालू पर यह आरोप है कि उसने इस कृत्य में उपस्थित रहकर सहयोग किये जाने के साथ–साथ शेरसिंह व पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त जितेन्द्र के मोबाईल से जो वीडियो बरामद होना बताया है, वह अलग समय व घटना का है, विकल्प में यह भी निवेदन किया कि मोबाईल से उसका कोई संबंध नहीं है।

7. विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह अभिमत प्रकट किया गया है कि अभियुक्त द्वारा बनाये गये वीडियो में पीड़िता कपड़े पहन रही है तथा अभियुक्त शेरसिंह पास में खड़ा है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त वीडियो व अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ–साथ पीड़िता की मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी होना निर्णीत किया है और 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया है, जिसके मुकाबले अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि मात्र तीन वर्ष हुई है। विचारण के दौरान भी अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार हुआ था।

8. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **जितेन्द्र उर्फ कालू पुत्र स्व. श्री जोशी** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /38